



2026:AHC:61179

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3455/2026

सुहैल@टुल्ली

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद नासिर

विपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

- आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद नासिर, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए0जी0ए0 श्री मनोज गौतम की दलीलें सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक सुहैल उर्फ तुल्ली की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुजफ्फरनगर जिले के नाए मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस क्राइम नंबर 286/2025 में धारा 2/3 के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जिन मामलों में उसके खिलाफ गैंग चार्ट में नाम दर्ज है, उनमें वह जमानत पर है, इसके अलावा, वह तीन अन्य मामलों में भी जमानत पर है। आवेदक, जो 15.10.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

5. आवेदक उन मामलों में जमानत पर है जो उसके खिलाफ गैंग चार्ट में दिखाए गए हैं, उपरोक्त के अलावा, आवेदक तीन अन्य मामलों में भी जमानत पर है। आवेदक 15.10.2025 से जेल में बंद है।

6. सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के साथ-साथ अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में आरोपी सुहैल उर्फ तुल्ली की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"